बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या- 5/आ02-101/2015- 143 पटना, दिनांक- 3.3.17

श्री किशोरी लाल बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर संप्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-9 के विरूद्ध मेसर्स Vishwa Infrastructures & Service Pvt. Ltd, Hyderabad से परफॉरमेन्स गारंटी तथा मोबिलाईजेशन एडभांस के आलोक में प्राप्त बैंक गारंटी क्रमशः 83.06 लाख रूपये तथा 19.23 लाख रूपये यानि कुल 102.29 लाख रूपये का ससमय नवीकरण नहीं कराने/बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाने के कारण सरकार को हुई वित्तीय क्षति कुल 102.29 लाख रूपये के लिए प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय संकल्प संख्या-5/आ02-101/2015-625 दिनांक-08.12.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

2. संस्थित विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी विभागीय जांच आयुक्त के पत्रांक-वि0का0स0 02/16-164 सी0डी0ई0 दिनांक 30.03.2016 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री बैठा के विरूद्ध लगाये गये आरोप निष्कर्षतः अप्रमाणित पाये गये।

3. जांच प्राधिकार द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से अंतरिम रूप से असहमति व्यक्त करते हुए असहमति के बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक-5/आ02-101/2015-744 दिनांक-14.09.2016 द्वारा आरोपित पदाधिकारी, श्री बैठा से (द्वितीय कारणपृच्छा) लिखित अभिकथन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री बैठा के पत्रांक-139 दिनांक-21.09.2016 द्वारा (द्वितीय कारणपृच्छा) लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

5. श्री बैठा द्वारा समर्पित (द्वितीय कारणपृच्छा) लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई एवं उनके द्वारा समर्पित (द्वितीय कारणपृच्छा) लिखित अभिकथन को स्वीकार्य योग्य नही पाया गया।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी, श्री बैठा के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री किशोरी लाल बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,

समस्तीपुर संप्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-9 को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

(i) निन्दन वर्ष 2010-11

(ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-101/2015- 143 पटना, दिनांक- 3.3.17

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-101/2015- 143 पटना, दिनांक- 3.3.17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री किशोरी लाल बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर संप्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव